(1)

कार्यालय जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नवीन जल/सीवर संयोजन हेतु प्रक्रिया

1– आवेदन कर्ता प्लम्बरों की सूची में से प्लम्बरों का चयन स्वयं करें तथा प्लम्बर को साइट दिखाकर स्टीमेट प्राप्त करें। उक्त कार्यवाही के पश्चात आवेदन कर्ता रू0 100.00 पंजीयन शुल्क स्वयं विभाग में जमा करेंगे।

2– आवेदन फार्म पंजीकृत होने के पश्चात जल संयोजन एवं सीवर संयोजन हेतु आवेदन पत्र में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त भवन पर बकाया जलकर/सीवर कर तथा अन्य जो भी धनराशि आवेदन कर्ता को जमा करनी है इसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर आवेदन कर्ता को दी जायेगी।

3– उक्त सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर आवेदन कर्ता को सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

4– संयोजन प्राप्त करने हेतु रोड कटिंग, नगर निगम अथवा लोक निर्माण विभाग से उनके निर्धारित दरों के आधार पर आवेदन कर्ता को संबंधित विभाग में पंजीयन तिथि से 25 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। पंजीयन तिथि से 25 दिनों के अन्दर विभाग की देय धनराशि व रोड कटिंग की धनराशि जमा न होने पर आवेदन पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा 30 दिनों उपरान्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5– संयोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आवेदन कर्ता स्वयं भी क्रय कर सकते हैं सम्बन्धित प्लम्बर को इस कार्य का दायित्व देने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6– द्वितीय जल संयोजन हेतु भवन स्वामी को रू0 1000.00 अग्रिम तथा किरायेदार अथवा अध्यासी को रू0 2000.00 जल जमानत के रूप में जमा करना होगा।

7– द्वितीय जल संयोजन हेतु किसी भी सह स्वामी अथवा किरायेदार को भवन पर बकाया सम्पूर्ण धनराशि में से भवन में कुल निवासियों की संख्या के अनुसारअपने हिस्से की धनराशि जमा करनी होगी यथा–यदि भवन में दो सह स्वामी व दो किरायेदार रह रहे हैं तो किसी भी एक को भवन में द्वितीय जल संयोजन लेने हेतु भवन पर बकाया सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 जमा करना होगा।

8– द्वितीय जल संयोजन हेतु विकास शुल्क की धनराशि देय नहीं है। प्रथम जल संयोजन तथा प्रथम अवैध जल संयोजन हेतु 100 वर्ग मीटर या इससे कम क्षेत्रफल के भवनों पर दो तल पर न्यूनतम धनराशि रू0 1600/– जमा करना होगा। 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवन तथा दो तल से अधिक के भवनो पर विकास शुल्क जल/सीवर की धनराशि निम्नानुसार देय होगी।

क्र. सं.	विवरण	विकास शुल्क (जल) भूखण्ड क्षेत्रफल पर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	जल न्यूनतम प्रभार (रूपयों में)	विकास शुल्क (सीवर) भूखण्ड क्षेत्रफल पर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	सीवर न्यूनतम प्रभार (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
1	दो तल तक	16.00	1601.25	16.00	1601.25
2	दो तल से अधिक	16.00 भूखण्ड क्षेत्रफल पर 8.40 दो तल से अधिक निर्मित क्षेत्रफल पर।	1601.25	16.00 भूखण्ड क्षेत्रफल पर 8.40 दो तल से अधिक कवर्ड क्षेत्रफल पर।	1601.25

9– विभाग द्वारा फेरूल युक्त जल संयोजन स्वीकृत किया जाता है तथा फेरूल विभाग द्वारा ही दिया जायेगा। अतः बिना फेरूल के कनेक्शन न कराये अन्यथा यह अवैध माना जायेगा।

10– अवैध जल संयोजनों का नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रारूप में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त रू0 1500.00 कम्पाउण्डिंग शुल्क भी जमा करना होगा।

11– स्वामित्व अथवा किसी अन्य विवाद की स्थिति की जल संयोजन स्वीकृत करने न करने का अधिकार संबंधित अधिशासी में निहित होगा। अपील की स्थिति में निर्णायक महाप्रबन्धक जलकल विभाग होंगे।

12– 30 दिनों के अन्दर जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत जल संयोजन न मिलने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील करने हेतु अधिकृत होगा।

13– आवेदन फार्म जमा करते समय निर्धारित प्रारूप–1 पर सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी द्वारा फार्म पर अभिस्वीकृति हस्ताक्षर कर आवेदन कर्ता को प्रारूप–1 प्रदत्त किया जायेगा।

14– आवेदन कर्ता प्लम्बर को दी जाने वाली धनराशि चेक द्वारा भुगतान करें तथा इसकी प्राप्ति की विवाद की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट– **आवेदन कर्त्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि जल संयोजन/सीवर संयोजन हेतु पंजीयन शुल्क व अन्य समस्त धनराशि आवेदन कर्ता को स्वयं विभाग में जमा करनी होगी। प्लम्बर के माध्यम से जमा कराने पर आवेदन कर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। चयनित प्लम्बर द्वारा केवल कनेक्शन करने का कार्य किया जायेगा।**

(2)

जलकल में पंजीकृत प्लम्बर/सीवर–सिविल ठेकेदारो की सूची

सत्र 2015–2016

क्र. सं.	फर्म का नाम	ठेकेदार का नाम	पता	मोबाइल नम्बर
1	मे0 के.एन. इण्टरप्राइजेज	श्री कृष्णानन्द पाण्डेय	बी.34/147–के–1 बी, वाराणसी	9335423297
2	मे0 दिलराम यादव प्लम्बरिंग वर्क्स	श्री दिलराम यादव	एस 12/55–एल पियरिया पोखरी, वाराणसी	9415451455
3	मेसर्स ओम शिव शक्ति ट्रेडर्स	श्री सुरेन्द्र कुमार (नेता)	एस 12/65–ए पियरिया पोखरी, वाराणसी	9450542926
4	मेसर्स सुबाष प्रसाद एण्ड सन्स	श्री सुबाष प्रसाद (एस.सी.)	ए 33/127 ओमकालेश्वर, वाराणसी	9161769559
5	मे0 गुलाब चन्द्र प्लम्बरिंग वर्क्स	श्री गुलाब चन्द्र (एस.सी.)	एस.एन. 17/3–2 वासदेव नगर, वाराणसी	9984009760
6	मे0 मनोज कुमार	श्री मनोज कुमार	ग्राम रेहटी थाना जलालगंज, जौनपुर	9794036564
7	मेसर्स शम्भू इंजीनियरिंग वर्क्स	श्री शम्भूनाथ पाण्डेय	डी.36/147, अगस्तकुण्डा, वाराणसी	
8	मेसर्स बी0के0 इण्टरप्राइजेज	श्री विरेन्दर कुमार पाठक	ई–41, प्रेमचन्द्र नगर कालोनी, वाराणसी	
9	मेसर्स एस0के0 इण्टरप्राइजेज	श्री सतीश कुमार पाण्डेय	एस.19/431–2–59 मेहता नगर, वाराणसी	9956432899
10	मेसर्स बाबा विश्वनाथ एसोसिएट	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	ग्राम तेवर, परगना–कटेहर चोलापुर, वाराणसी	9839527900
11	मेसर्स जी0डी0 प्लम्बरिंग वर्क्स	श्री घनश्याम	ग्राम व पोस्ट–सुसुवाही, जिला–वाराणसी	9795728249
12	मे0 प्रदीप कुमार प्लम्बरिंग वर्क्स	श्री प्रदीप कुमार	ग्राम–गनेशपुर, पोस्ट–शिवपुर, वाराणसी	9721988924
13	मेसर्स डी0आर0 इंजी0 वर्क्स	श्री प्रदीप कुमार सिंह	एन.2/130 बी प्रज्ञानगर सुन्दरपुर, वाराणसी	9450010573
14	मेसर्स नन्दलाल एण्ड सन्स	श्री नन्दलाल केशरी	डी.56/21 आई. मीरबाग, वाराणसी	
15	मेसर्स आर0सी0प्लम्बरिंग वर्क्स	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	एन.9/38जी–4–आई नेवादा, वाराणसी	9839340708
16	मेसर्स सांई कृपा इण्टरप्राइजेज	श्री अमित कुमार राय	बी.33/10के–13ए रोहित नगर, नरिया, वारा.	9450176670
17	मेसर्स संजय प्रसाद एण्ड सन्स	श्री संजय प्रसाद	सी.के.5/16 भिखारीदास लेन, वाराणसी	
18	मेसर्स धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट–मुस्तफाबाद, वाराणसी	7607179368
19	मेसर्स शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज	श्री संतोष कुमार तिवारी	ग्राम व पोस्ट–पराशीकलां, चन्दौली	9452346384

नोट– 1. प्लम्बर जल संयोजन एवं सीवर संयोजन हेतु आवेदन कर्ता को स्टीमेट अपने पैड पर देंगे, हस्ताक्षर के नीचे मोहर भी लगायेंगे।
2. लेबर दर एवं सामग्री स्टीमेट मार्केट रेट के अनुरूप होनी चाहिए प्लम्बर 10 प्रतिशत कान्ट्रैक्टर प्राफिट ले सकते हैं।

सचिव

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

(3)

जल/सीवर संयोजन हेतु आवेदन पत्र

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता

जलकल विभाग (जोन.........)

महोदय,

मै .... पुत्र श्री ....

अपने निजी/किरायेदारी मकान नम्बर .... पर पानी/सीवर का कनेक्शन लेना चाहता हूँ। मै निर्धारित पंजीयन शुल्क रू0 100.00 जमा कर रहा हूँ। जिसका वार्षिक मूल्यांकन नगर निगम वर्ष .... मे रू0 .... निर्धारित किया गया है। विभाग के अन्य शुल्क जो कि इस प्रपत्र के नीचे लिखे गये हैं, उससे पूर्णतया सहमत हूँ व अपना कनेक्शन आपके द्वारा सूची मे दिए गये पंजीकृत प्लम्बर मेसर्स .... से कराना चाहता हूँ। मैने भलीभाँति दिये गये शर्तों को पढ़ लिया है।

दिनांक...

मोबाईल नम्बर.. हस्ताक्षर.......................................

ई–मेल.. नाम.......................................

पता.......................................

कार्यालय प्रयोग हेतु
जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण

क्र0सं0	जल संयोजन हेतु	सीवर संयोजन हेतु
1.	जल संयोजन फीस – रू0 450/–	सीवर संयोजन फीस – रू0 500/–
2.	सुपरवीजन शुल्क – रू0 150/–	सुपरवीजन शुल्क – रू0 150/–
3.	फेरूल चार्ज – रू0 250/–	न्यूनतम विकास शुल्क (सीवर)– रू0 1600/–
4.	न्यूनतम विकास शुल्क (जल)– रू0 1600/–	
	योग रू0 2450/–	**रू0 2250/–**

नोट–

1. जल संयोजन अथवा सीवर संयोजन हेतु भवन पर बकाया जलकर सीवर कर जलमूल्य एवं सीवर संयोजन प्रभार की सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा करना होगा।
2. द्वितीय जल संयोजन हेतु अग्रिम जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण प्रक्रिया के क्रमांक–6, 7, 8 पर अंकित है।
3. विकास शुल्क की उपरोक्त न्यूनतम दर 100 वर्गमीटर वो तल तक के भवनो के लिए है। इससे अधिक क्षेत्रफल के भवनो के विकास शुल्क की दर एवं तद्नुसार भुगतान जल संयोजन प्रक्रिया के बिन्दु–8 पर अंकित है।

उक्त भवन संख्या .... के भवनस्वामी/किरायेदार द्वारा निम्नानुसार धनराशि .... रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा की जा चुकी है। अतः पानी/सीवर का कनेक्शन स्वीकृत करने का कष्ट करें।

स्वीकृत

लिपिक | अवर अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता (जोन.........)

(4)

अनुबन्ध 100 रू0 के नान ज्यूडिशियली स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।

अनुबन्ध – पत्र

प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र श्री..पुत्र श्री..जाति.... ....निवासी...शहर वाराणसी प्रथम पक्ष जिसे एतद्मिन पश्चात प्रमुख पक्षकार कहा गया है और जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी जिसको एतद्मिन पश्चात जलकल कहा गया है, बन्ध किया गया। यह अनुबन्ध स्वरूप अभिसाध्य करता है।?

चूंकि प्रमुख पक्ष का जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी से नगर निगम वाराणसी परिसर.. ....स्थित...वार्ड...................................में पारिवारिक प्रयोजनार्थ लिये गये जल संयोजन के प्रार्थना पत्र दिनांक...................द्वारा निबन्ध है कि जलकल विभाग की ओर से कार्य सम्पादन करते हुए अधिशासी अभियन्ता जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जा चुका है, अतएव यह अनुबन्ध अभिसाध्य करता है।

यह कि प्रमुख पक्षकार अब समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों की जो इस अनुबन्ध में उल्लिखित है तथा उस नियमों को जो वर्तमान समय में लागू है एवं भविष्य में लागू हो उन सबका पारिवारिक जल आपूर्ति हेतु मानने के लिए बाध्य होगा।

यह कि प्रमुख पक्षकार अपने द्वारा उपरोक्त किये गये समस्त जल का व्यय तथा मीटर किराया उपरोक्त वर्णित नियमों में जो कि वर्तमान समय में लागू अथवा एतद्पश्चात लागू हो निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करेगा।

यह कि संविदा के सभी शर्तों प्रतिबन्धों व नियमों के उपरोक्त वर्णित संलग्न होगा और प्रमुख पक्षकार उसके उत्तराधिकारियों व प्रबन्धकों एवं हस्तान्तरित और ऐसे अन्य व्यक्ति जिनमें कि उपरोक्त परिसर का स्वामित्व उस समय निहित हो के ऊपर लागू है।

यह कि कोई एक पक्षकार एक सप्ताह की स्पष्ट लिखित सूचना दूसरे पक्षकारों को देगा प्रस्तुत संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह कि प्रमुख पक्षकार यदि संस्था के भीतर तथा अन्य सामान फिटिंग्स वगैरह का अपनी अपेक्षा त्रुटि अथवा असावधानी के परिणाम को क्षति पहुँचाता है तो वह जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी के पूर्ति उत्तरदायी होगा इस विषय में महाप्रबन्धक जलकल विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

यह कि जलकल विभाग संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न सभी पावनों की प्रमुख पक्षकार से कुर्क द्वारा अथवा अन्य विधि पूर्ण उपायों से वसूल करने के लिए अधिकारी होगा।

यह कि जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी को दिये जाने का कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव इस आशय का नहीं माना जायेगा कि भूखण्ड स्वामी/स्वामिनी संदर्भित भूखण्ड पर भवन निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र की स्वीकृति से अपने को मुक्ति मान लेगा।

उपरोक्त अभिसाध्य एवं पक्षकार प्रमुख अभिलेख– पत्र पर आज दिनांक............................माह.............................. वर्ष.....................को अपना हस्ताक्षर करते है।

साक्षीगण के हस्ताक्षर **प्रमुख पक्ष**

1. प्रमुख पक्षकार

2. जलकल विभाग

अधिशासी अभियन्ता
जलकल विभाग नगर निगम
वाराणसी